C-02 Contemporary India & Education

Quality Education

शिक्षा का अधिकार न केवल शिक्षा तक पहुँचने का अधिकार है बल्कि अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी है। शिक्षा उपलब्ध और सुलभ होनी चाहिए, लेकिन स्वीकार्य और अनुकूल भी। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है जो अधिकतम संभव सीमा तक उपलब्ध होनी चाहिए... इसलिए संसाधन की कमी किसी भी राज्य की विफलता के लिए, या आवश्यक उपायों के लिए पर्याप्त नहीं है। (CRC. सामान्य टिप्पणी) 1, 2001: पैरा 28)

च्यूँकि कई सरकारें बुनियादी शिक्षा का विस्तार करने का प्रयास करती हैं, वे यह सुनिश्चित करने की चुनौती को स्वीकार करते हैं कि छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया में सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक स्कूल में रहना पड़ता है। यह दर्शाता है कि कई देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। यह रिपोर्ट कई कारकों पर शोध अध्ययनों की समीक्षा करती है जो गुणवत्ता का निर्धारण करती हैं और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रमुख नीतियों को पेश करती है, खासकर कम आय वाले देशों में बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर बहुत कुछ किया गया है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के लिए एक ढांचा। शिक्षा में गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान साहित्य की समीक्षा करने में, मानविकी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य लेता है और इस विश्लेषण से प्रदर्शित होता है कि कार्यक्रमों में शिक्षार्थियों, सामग्री, प्रक्रियाओं, वातावरण और परिणामों को शामिल करते हुए एक व्यापक शामिल किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Indicators of Quality : Related to learning environment & Student outcomes :

यह जानते हैं कि गुणवत्ता का अर्थ देशों के बीच क्या होता है। विभिन्न शिक्षा अभिनेताओं और संगठनों की अपनी-अपनी परिभाषाएं भी हैं, हालांकि अधिकांश तीन व्यापक सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। पर्यावरण में सीखना विद्यार्थी को महत्वपूर्ण है। वह इन शिक्षा गुणवत्ता पर घर पर यूनेस्को के ढांचे के पांच आयाम हैं।

i) शिक्षार्थी के लक्षण :- शिक्षार्थी की योग्यता, दृढ़ता, स्कूल के लिए तत्परता, पूर्व ज्ञान, सीखने की बाधाएँ और जनसांख्यिकीय चर।

ii) संदर्भ - शिक्षा के लिए सार्वजनिक संसाधन माता-पिता का समर्थन राष्ट्रीय मानकों, श्रम बाजार की मांग, सामाजिक-संस्कृति और धार्मिक कारक, सहकर्मी प्रभाव, और स्कूली शिक्षा और होमवर्क के लिए उपलब्ध समय।

iii) इनपुट सक्षम करना → शिक्षक और शिक्षण सामग्री भौतिक अवसंरचना और सुविधाएं और मानव संसाधन आदि।

iv) शिक्षण और शिक्षण → सीखने के समय, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन और वर्ग उनकार आदि।

v) परिणाम → साक्षरता और संख्यात्मकता मूल्यों और जीवन कौशल में कौशल शामिल हैं।

Scanned with CamScanner

शैक्षिक गुणवत्ता और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए, योजनाकारों को वर्तमान स्थिति के साक्ष्य - आधारित विश्लेषण, समय के साथ रुझान और एक प्रणाली की शक्तियों और कमजोरियों और उनके कारणों के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है।

संकेतक शैक्षिक योजनाओं और निर्णय निर्माताओं को सक्षम करते हैं।

* शिक्षण गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और छात्र के प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन की निगरानी करें, और नीति - निर्माताओं को आसन्न समस्याओं के लिए संकेत कर सकते हैं।

* शैक्षिक सुधार प्रयासों के प्रभाव को मापें।

* शैक्षिक उप-प्रणालियों के साथ तुलना करके या उनके कुछ हिस्सों की तुलना में सुधार करने के लिए, एक शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करें।

* मुख्य इक्विटी संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करें जैसे कि विभिन्न उपसमूहों का प्रदर्शन जैसे लड़कियों, गरीबी में रहने वाले छात्र या विकलांग छात्र।

Contemporary India & Education

Unit-05 Study of different Commissions & Policies in Education.

* Wood Dispatch (1854)

1854 में ईस्ट इंडिया के आज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के अवसर पर ब्रिटिश लोकसभा ने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ स्थायी नीति निर्धारित करने की आवश्यकता अनुभव की। इसके लिए ब्रिटिश लोक सभा ने भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँच करके प्रगति हेतु सुझाव देने के लिए संसदीय समिति नियुक्त की है। इसने देश की शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जाँच की और विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। तत्पश्चात महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जिनका प्रकाशन 19 July 1854 ई० को एक आज्ञा-पत्र के रूप में हुआ। जाँच समिति का सदस्य न होते हुए भी "वुड" का नाम आज्ञा-पत्र के साथ जुड़ गया था; क्योंकि 1854 ई० में सर चार्ल्स वुड कम्पनी के नियंत्रण बोर्ड के प्रधान थे और इनके प्रभावपूर्ण संरक्षक एवं निर्देशन में आज्ञा-पत्र तैयार हुआ था। अतः वुड के नाम से वुड का आज्ञा-पत्र कहा गया। 100 अनुच्छेदों का आज्ञापत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

आज्ञा-पत्र की संस्तुतियाँ

i) शैक्षिक नीति → शिक्षा का उत्तरदायित्व → शिक्षा के उद्देश्य → शिक्षा का माध्यम → पाठ्यक्रम

2. शैक्षिक प्रशासन → शैक्षिक संगठन — सामान्य शिक्षा → ~~व्यावसायिक शिक्षा~~ शैक्षिक नियंत्रण → विश्वविद्यालय शिक्षा → शैक्षिक विकास

3. शैक्षिक विकास — i) शिक्षा और रोजगार
ii) व्यावसायिक शिक्षा
iii) स्त्री शिक्षा
iv) सहायता अनुदान प्रणाली
v) जन शिक्षा

Scanned with CamScanner

iii) स्त्री शिक्षा

4) (आज्ञापत्र के गुण (Merits of Wood's Despatch)

i) शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की संस्तुति करके आज्ञापत्र ने भारतीयों का शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया, जिससे भारत में शिक्षा का प्रसार करने में अधिक सफलता प्राप्त हुई।

ii) आज्ञापत्र ने शिक्षा विभाग की स्थापना का सुझाव देकर देकर देश में शैक्षिक संगठन को सुदृढ़ बनाया।

iii) यह आज्ञापत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया।

iv) आज्ञापत्र में व्यवसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना का सुझाव देकर भारत में बेरोजगारी की समस्या के समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया।

~~आज्ञापत्र के दोष :~~

i) आज्ञापत्र ने लोक शिक्षा-विभाग की स्थापना और शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति का सुझाव देकर भारत में प्राचीनकाल से प्रचलित स्वतंत्र शिक्षण का कार्य का अंत कर दिया।

ii) आज्ञा-पत्र में शिक्षा का अस्थायित्व ध्येय का निर्धारित करके अफसरशाही को प्रश्रय दिया।

iii) आज्ञापत्र द्वारा शिक्षित व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिये जाने की संस्तुति से शिक्षा का व्यापक उद्देश्य समाप्त हो गया और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन हो गया।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्

Scanned with CamScanner

Contemporary India & Education

Wardha Commission 1937

वर्धा योजना की रूपरेखा

1) चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर उनको स्वावलम्बी बना देती है।

2) उक्त शिल्प की शिक्षा इस प्रकार प्रदान की जाती है कि बालक उसके सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भली-भाँति परिचित हो जाते हैं।

3) शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है, ताकि बालक सीखे हुए शिल्प के द्वारा अपनी जीविका का उपार्जन कर सके।

4) शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से और उसके ग्राम के उद्योगों, हस्तशिल्पों और व्यवसायों से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है।

5) बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है या जिनको बेचकर विद्यालय का कुछ व्यय चलाया जा सकता है।

6) वे जो सात से चौदह वर्ष तक के बच्चों में की होनी चाहिए

7) शिक्षा हस्तकौशल के माध्यम से होगा।

8) शिक्षा का अध्ययन बहुरंग होगा।

9) करिकुलम बच्चों के उपयोगिता होनी चाहिए।